राजस्थान–सरकार

निदेशालय,राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग

'बीमा भवन' जयसिंह हाईवे,बनीपार्क,जयपुर।

क्रमांकः एफ.1/व्य.एवं प./पीएफ/1767 दिनांकः 31-10-2013

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक,जयपुर।
2. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग,जयपुर।
3. मुख्य अभियंता, जलदाय विभाग,जयपुर।
4. मुख्य अभियंता, सिंचाई विभाग,जयपुर।
5. मुख्य अभियंता, खान एवं भू विज्ञान विभाग,उदयपुर।

विषयः– वर्कचार्ज कर्मचारियों की TE के लम्बित प्रकरणों के निस्तारण बाबत्।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि राज्य सरकार के कर्मनिरूपित कर्मचारियों की TE (स्थानान्तरण प्रविष्ठियों) के प्रकरणों के यथा समय निस्तारण नहीं होने पर माननीय राज्य मानवाधिकार आयोग द्वारा दिनांक 28.10.2013 को आयोजित बैठक में गंभीरता से लिया जाकर समस्त लम्बित प्रकरणों को आगामी दो माह में निस्तारित किये जाने के निर्देश दिये है। इस संबंध में आपसे आग्रह है कि :–

1. अतः उक्त को क्रियान्विति के क्रम में इस विभाग द्वारा वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक सतर्कता, मुख्यालय,जयपुर को उक्त प्रकरण में नोडल अधिकारी बनाया गया है। अतः आप भी अपने विभाग के किसी एक वरिष्ठ अधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त करावे ताकि सभी विभागों के समन्वित प्रयासों से लम्बित प्रकरणों का शीघ्र एवं समयबद्ध निस्तारण किया जा सके।

   विभाग के नोडल अधिकारी का विवरण

   नाम : श्री गोवर्धन प्रसाद पारीक
   पदनाम : वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक, 'बीमा भवन', जयपुर।
   कार्या.दूरभाष नं. : 0141–2202896 मोबाईल नं. 9413308978
   ई–मेल एड्रेस : sadd.vig.sipf@rajasthan.gov.in

2. स्थानान्तरण प्रविष्ठयों के लम्बित प्रकरणों के समयबद्ध निस्तारण बाबात अब तक सेवानिवृत्त हो चुके एवं माह नवम्बर, 2013 तक सेवानिवृत्त होने जा रहे कार्मिकों के प्रकरणों को आगामी एक माह में निस्तारित किया जाना है। अतः ऐसे कार्मिकों की सूची जिलेवार/खण्डवार आगामी 7 दिवस में इस विभाग के जिला कार्यालयों तथा नोडल अधिकारी,मुख्यालय,जयपुर को, निम्न प्रोरूप में भिजवाने बाबत अपने अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देशित कराने का श्रम करावे।

नवम्बर, 2013 तक सेवानिवृत्त हो चुके/होने वाले कर्मनिरूपित कर्मचारियों की जिलेवार/खण्डवार सूची

क्र. सं.	नाम कर्मचारी	पिता का नाम	CPF खाता संख्या	जन्म तिथि	प्रथम नियुक्ति तिथि	अर्द्धस्थायी/स्थायी करने की तिथि	नियमितिकरण का दिनांक	विकल्प पत्र प्राप्ति तिथि	प्रा.निधि खाता संख्या	डीडीओ का नाम मय मो. एवं फोन नं.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

19

3. इन कर्मचारियों के प्रकरणों के निस्तारण के संबंध में भविष्य में किसी प्रकार का विलम्ब न होवें इस हेतु आपके विभाग में वर्तमान में कार्यरत कुल कर्मनिरूपित कर्मचारियों की सूची भी निम्न प्रारूप में इस विभाग के जिला कार्यालयों तथा नोडल अधिकारी,मुख्यालय, जयपुर को निम्न प्रारूप में भिजवाने का श्रम करावे ताकि आगामी दो माह में इनकी TE जारी करने के संबंध में समुचित कार्यवाही पूर्ण की जा सके।

जिलेवार/खण्डवार कर्मनिरूपित कर्मचारियों की सूची

क्र.सं.	नाम कर्मचारी	पिता का नाम	CPF खाता संख्या	प्रति माह CPF अंशदान की राशि	राजकीय अंशदान की राशि	प्रथम नियुक्ति का स्थान	प्रा.निधि खाता संख्या	कर्मचारी के पदस्थापन स्थानों का विवरण	डीडीओ का नाम मय मो. एवं फोन नं.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

4. कर्मनिरूपित कर्मचारियों का पूर्ण पदस्थापन विवरण ,पेंशन विकल्प पत्र, राजकीय सेवा में स्थाई किये जाने का रिकार्ड, पासबुक, आदि रिकार्ड का विवरण उपलब्ध नहीं होने के कारण TE जारी करने के प्रकरण लम्बित रहते है। अतः उक्त अभियान के दौरान विभाग के जिला कार्यालयों द्वारा इस संबंध में पत्र व्यवहार किये जाने पर अविलम्ब सूचना उपलब्ध कराने बाबत अपने अधीनस्थ अधिकारियों/नोडल अधिकारियों को निर्देशित करने का श्रम करावे ताकि उक्त अभियान को सफल बनाया जाकर राज्य के कर्मनिरूपित कर्मचारियों के लम्बित प्रकरणों का यथा शीघ्र निस्तारित कराया जा सके।

भवदीय

3/11/13

(डॉ. राजेश शर्मा)
निदेशक

क्रमांकः एफ.1/व्य.एवं प./पीएफ/ दिनांकः

प्रतिलिपि:—निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. उप सचिव, मानवाधिकार, आयोग,राजस्थान, जयपुर।
2. वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक (सतर्कता) एवं नोडल अधिकारी, राज्य बीमा एवं प्रा.नि.विभाग,राज.जयपुर।
3. वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक,राज्य बीमा एवं प्रा.नि.विभाग,संभागीय कार्यालय उदयपुर, जोधपुर, भरतपुर, कोटा, जयपुर प्रथम।
4. अतिरिक्त निदेशक,राज्य बीमा एवं प्रा.नि.विभाग,संभागीय कार्यालय, बीकानेर,अजमेर,जयपुर द्वितीय।
5. संयुक्त/उप/सहा.निदेशक,राज्य बीमा एवं प्रा.नि.विभाग,समस्त जिला कार्यालय।

(अब्दुल रज्जाक)
वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक,पीएफ

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर

कमांकः– एफ 15( )13/टीई/श्रम/प्रमुवसं/2315-2440 दिनांक 4.12.13

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

(1) अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, श्रम एवं विधि राजस्थान जयपुर।
(2) समस्त मुख्य वन संरक्षकगण।
(3) वित्तीय सलाहकार प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान जयपुर
(4) समस्त उप वन संरक्षक, को प्रेषित कर अनुरोध है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता को राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के पत्रांक एफ 1/व्यय एवं प/पीएफ/1767 दिनांक 31.10.13 के कम में नोडल अधिकारी नियुक्ति किया गया है। कार्य प्रभारित कर्मचारियों की टीई (स्थानान्तरण प्रविष्टियों) के प्रकरणों में निस्तारण के संबंध में पुनः समीक्षा बैठक दिनांक 20.12.13 को आयोजित किया जाना सम्भावित है। अतः निदेशालय बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के निर्देशानुसार पत्र के बिन्दु संख्या 2 व 3 में उल्लेखित सूचना निर्धारित प्रपत्र में जिला कार्यालय एवं नोडल अधिकारी, मुख्यालय राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग को भिजवाते हुये इस कार्यालय को सूचना हार्ड कॉपी के साथ साथ सॉफ्ट कॉपी में MS Excel फोर्मेट में ईमेल एड्रेस dcfll@yahoo.in पर भी प्रेषित की जावें।
(5) रक्षित पत्रावली

(उपकार बोराना)
उप वन संरक्षक,
श्रम एवं विधि,
राजस्थान, जयपुर